न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2024 (बांसवाड़ा डिकी)

1. राजू चरपोटा पिता स्वर्गीय हुरजी चरपोटा, जाति भील, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. संजय चरपोटा पिता स्वर्गीय हुरजी चरपोटा, जाति भील, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. फरियाद मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कनक कुंवर पत्नी भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. पटवारी, पटवार हल्का खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती कमला चरपोटा पत्नी स्वर्गीय हुरजी चरपोटा, जाति भील, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक
02.08.2022 प्रकरण संख्या 35/2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र कुमार अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक रे. सं 1, 2

———::———

निर्णय **दिनांक 25–07–2024**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्र[illegible] हैं कि [illegible] अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 [illegible] बाबत [illegible]काना हक घोषित करने कब्जा कृषि भूखण्ड का [illegible] का प्रस्तुत कर निवेद[illegible]

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

किया कि वादिया के पति हुरजी चरपोटा ने वर्ष 1984 प्रतिवादी को मात्र 300/- रूपये में ग्राम खेरवा की आराजी नंबर 1141, 1143, 1144 व 1145 कुल खेत 4 रकबा 0.36 हैक्टर भूमि अर्थात 2 बीघा भूमि गिरवी रखी, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलीभगत कर आदेश क्रमांक 423 दिनांक 26-10-1985 के सर्वे नंबर 562 व पूर्ण कीमतन 562/- के माध्यम् से अपने नाम करवा ली, जबकि वादीया आज भी उक्त आराजियात पर काबिज है। खेत नंबर 562 हुमला वगैरह के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 1141 उसी खेत संख्या 562 का हिस्सा है। वादिया अनुसूचित जनजाति की महिला होने से वादिया के खाते की भूमि की सवर्ण के खाते नहीं चढ़ सकती, किन्तु तत्कालीन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलीभगत कर वादिया की उक्त भूमि को सरकार की बताते हुए नामान्तरकरण खुलवा लिया। दिनांक 23-06-2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी। उक्त समस्त कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः वादीया को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15-09-2020 को खारिज कर दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीया के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावे के आधार पर कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 02-08-2022 से वादीया का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12-03-2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक [illegible] के प्रार्थना के सन्दर्भ में वक्त बहस निवेदन किया कि [illegible] रकबा 2 बीघा 5

बिस्वा हुरमा एवं लालू पिता हुरमा के खातेदारी की होकर अपीलान्टगण लालू के पुत्र हुरजी के पुत्र हैं। उक्त आराजी पर लालू की मृत्यु के बाद हुरजी काबिज हुए एवं हुरजी की मृत्यु के बाद अपीलान्टगण व वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 ने अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत किया है, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को विधिवत आवंटित होकर राजस्व रेकार्ड में उनके खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात् रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजियात बेचान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिये जाने से रेस्पोन्डेन्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 710 स्वीकृत हुआ। अपीलान्टगण का उक्त आराजियात से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी आधार पर खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श ए.1 से प्रदर्श ए.5 में विवादित आराजी नंबर 1141, 1143, 1144 व 1145 कुल खेत 4 रकबा 0.36 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज है तथा प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके साबिक आराजी नंबर 562 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा थे, जो प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को आवंटित हुई है। विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की होने से उसके द्वारा दिनांक 07–04–2016 को रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 710 दिनांक 23–06–2016 स्वीकृत हुआ है। अपीलान्टगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी लालू अथवा हुरजी के नाम उक्त आराजियात कभी भी दर्ज नहीं रही है। इस संबंध में अपीलान्ट की माता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 द्वारा [illegible] न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उस अधिनस्थ न्यायालय [illegible] विवेचन करते हुए वादिया का वाद [illegible] जो की अपीलान्ट की माता है, उसके द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] वादिया अथवा उसके पूर्वाधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

लालू व हुरजी का किसी प्रकार का हक अधिकार होना नहीं मानते हुए वादिया का वाद खारिज किया है।

सम्पूर्णतया हम यह पाते है कि वादिया ने लालू व हुरजी की आराजियात होने के आधार पर विवादित आराजियात में अपना हक अधिकार बताया है तथा अपीलान्ट भी लालू व हुरजी के आधार पर विवादित आराजियात में अपना हक अधिकार होना बताकर अपने आपको हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार बताते हैं, किन्तु जब अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए वादिया व उसके पूर्वाधिकारी लालू व हुरजी का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होना मानकर उसका वाद खारिज किया है, तो उक्त आधार पर हम अपीलान्टगण का भी किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपीलान्टगण हितबद्ध, प्रभावित व आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण उनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 खारिज योग्य होने से अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट हितबद्ध, प्रभावित व आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 02—08—2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25—07—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**मू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** ....

राजू पिता स्व.हुरजी चरपोटा, जाति भील, निवासी खेरवा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा व अन्य बनाम **फरियाद मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी खेरवा, तह0 घाटोल, जिला बांसवाडा व अन्य**

अपील नं.......**02/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**घाटोल**.......... मुकाम................मुवर्खे...............**02**.............माह..............**08**...........**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**25**....माह........**07**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र कुमार**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री तहसीम अहमद**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट हितबद्ध, प्रभावित व आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी 02–08–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**25**......माह.......**07**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर [illegible] कुल खर्चा [illegible] का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:06 IST
Reason: SelfAttested